तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
18.03.2026	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उपस्थित। पूर्व में दिनांक 10.03.2026 को प्रकरण में बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नंबर 772 रकबा 0.36 है0 व 773 रकबा 0.44 है0 में से 0.14 है0 कुल 0.50 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में हटाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने एवं खसरा नंबर 780, 480/5007 व 780/5012 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है। मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गई अशुद्धी को शुद्ध करने हेतु निवेदन किया है। भू–प्रबंध विभाग की इस त्रुटी को लिपिकीय त्रुटी अथवा सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई ऐसी त्रुटि नहीं माना जा सकता, जिसे धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत परिवर्तित किया जा सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:52 IST
Reason: SelfAttested